दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को प्रात: 11 बजे राज निवास, दिल्ली में आयोजित दि.वि.प्रा. की बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल

उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री तरून कपूर

सदस्य

1. श्री के. विनायक राव
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेंद्र शर्मा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री विजेंद्र गुप्ता, विधायक एवं
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता
4. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
5. श्री एस.के.बग्गा, विधायक
6. श्री ओ.पी.शर्मा, विधायक
7. श्री मनीष अग्रवाल
   निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
8. श्रीमती भावना मलिक
   निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

Scanned with CamScanner

सचिव

श्री डी.सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशेष आमंत्रितगण

1. डॉ. राजेश कुमार

   प्रधान आयुक्त (आवास, राष्ट्र मंडल खेल एवं खेल), दि.वि.प्रा.

2. श्री मनीष कुमार गुप्ता

   प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन, प्रणाली एवं समन्वय), दि.वि.प्रा.

3. डॉ. राजीव कुमार तिवारी

   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भू-दृश्यांकन), दि.वि.प्रा.

4. श्रीमती वर्षा जोशी

   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

5. श्री अमित कटारिया

   भूमि एवं विकास अधिकारी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार

   उप राज्यपाल के प्रधान सचिव

2. श्रीमती चंचल यादव

   उप राज्यपाल के विशेष सचिव

माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रणगण और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया गया।

मद सं. 118/2019

दिनांक 14.11.2019 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ. 2(2)2019/एम.सी./डी.डी.ए.

दिनांक 14.11.2019 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

Scanned with CamScanner

मद सं. 119/2019

दिनांक 14.11.2019 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(2)2019/एम.सी./डी.डी.ए.

दिनांक 14.11.2019 को प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) के संबंध में प्राधिकरण के सदस्यों ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ दी:-

श्री विजेन्द्र गुप्ता

i) श्री विजेंद्र गुप्ता ने माननीय उप राज्यपाल का दि.वि.प्रा. द्वारा जे.जे.क्लस्टर्स का सर्वेक्षण शुरू करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने निवेदन किया कि दि.वि.प्रा. और केंद्रीय सरकार की भूमि पर सभी जे.जे.क्लस्टर्स पर सूचना-पट लगाए जाएं।

ii) मीठापुर, जैतपुर और हरि नगर कॉलोनियों को जोन-'ओ' से स्थानांतरित करने से संबंधित मामले को सभी न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की उचित जांच के बाद शीघ्र निपटाया जाए। तथापि जोन-'ओ' से संबंधित सभी विनियमों का अनुपालन किया जाए।

iii) श्री सोमनाथ भारती द्वारा मोहल्ला क्लीनिक से संबंधित उठाए गए मामले पर चर्चा करते हुए, श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगमों का एक अनिवार्य कार्य है और मोहल्ला क्लीनिकों के लिए प्रस्ताव नगर निगम की शक्तियों का अधिक्रमण है।

श्री सोमनाथ भारती

i) की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह गलत उल्लेख किया गया है कि मोहल्ला क्लीनिकों को जन-सुविधाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। दि.वि.प्रा. को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दि.वि.प्रा. की खाली भूमि को मोहल्ला क्लीनिक हेतु अस्थायी रूप से आबंटित करने के अनुरोध पर विचार करना चाहिए। कालू सराय स्थित साइट जिसके बारे में यह सूचित किया गया कि वह स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आबंटित कर दी गई है, भूमि पर स्थित उस साइट की पहचान नहीं की जा सकी, इसलिए उसे सीमांकित किया जाना चाहिए।

ii) गुज्जर डेरी स्थित सामुदायिक भवन पर एक अतिरिक्त मंजिल के निर्माण के लिए उसकी संरचनात्मक मजबूती की शीर्घ जाँच की जाए।

Scanned with CamScanner

माननीय उपराज्यपाल ने यह निर्देश दिया कि संरचनात्मक सुरक्षा मामलों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और दि.वि.प्रा. को एक उचित तकनीकी जांच करनी चाहिए।

iii) जैसा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास अपेक्षित निधि नहीं है, इसलिए गुलमोहर पार्क स्थित द.दि.न.नि. को आबंटित भूमि को रद्द कर के उस पर दि.वि.प्रा. द्वारा सामुदायिक केंद्र का निर्माण होना चाहिए।

iv) दि.वि.प्रा. को खसरा सं. 277, हौज खास के संबंध में स्थगन-आदेश को जल्दी ही रद्द करवाना चाहिए।

v) दिल्ली मैट्रो रेल निगम कुम्हार बस्ती में दि.वि.प्रा. द्वारा आबंटित भूमि का वाणिज्यिक उद्देश्य से अवैध रूप से विकसित कर रहा है। और सामुदायिक केंद्र विकसित करने के लिए इस भूमि से हो कर एक पहुंच सड़क बनाई जानी चाहिए।

vi) दि.वि.प्रा. को दि.वि.प्रा. पार्कों में झूलों, ओपन बैडमिंटन कोर्ट, आदि सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में तेजी लानी चाहिए।

<u>श्री ओ.पी. शर्मा</u>

i) श्री ओ.पी.शर्मा ने दि.वि.प्रा. को उनके निर्वाचन-क्षेत्र में 60 फुट चौड़ी रोड के मार्गाधिकार पर अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के मामले का समाधान करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने निवेदन किया कि जब तक एक उचित बाऊंडरी नहीं बन जाती, तब तक शिवम एन्क्लेव के पास जहां बाउंडरी टूटी हुई है वहां तुरंत एक अस्थायी बाड़ बना दी जाए।

<u>मद सं.120/2019</u>

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार जोन-'डी' (नई दिल्ली) की जोनल विकास योजना का प्रारूप (लुटियन्स बंगलो जोन को छोड़ कर)

एफ.4(4)2007/एम.पी./पार्ट-I

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह मामला विचार हेतु और अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाए।

Scanned with CamScanner

मद सं.121/2019

मुकरबा चौक, आउटर रिंग रोड़ (जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन और हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के बीच) पर स्थित दि.वि.प्रा. की 14.6 हेक्टेयर भूमि(आजादपुर फल और सब्जी बाजार के पास), जो जोन-सी के अंतर्गत आती है, के भूमि उपयोग को समूह आवास योजना हेतु उपयोग के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 (क) के अंतर्गत, 'वाणिज्यिक' (सी 2 सब सिटी थोक बाजार) से 'आवासीय (आर डी)' में परिवर्तन पर प्रस्ताव।

एफ.20(10)2019-एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 'क' के अंतर्गत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद सं.122/2019

नेरला में इंस्टीट्यूशनल हब बनाने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु पी.एस.पी. को वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट सेंटर के लिए निर्धारित 36.6 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग का परिवर्तन और बदले में एफ.ए.-20 में सांस्थानिक भूमि (पी.एस.पी.) को वाणिज्यिक में बदलना।

एफ.9(01)/2012-एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु मामले को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाए।

मद सं. 123/2019

दि.वि.प्रा. और केंद्रीय सरकार की भूमियों पर प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के तहत स्व-स्थानों पुनर्वास/पुनर्विकास के लिए जे.जे.कलस्टर का सर्वेक्षण करने हेतु सूचना/अनुमोदन।

एफ.2(08)2019/पी.एम.ए.वाई (आई.एस.आर.)/डी.डी.ए.

एजेंडा मद में शामिल सूचना को नोट किया गया।

मद सं. 124/2019

विकासकर्ता संस्था अर्थात् मैसर्स नेगोलिस इंडिया लि. से एम 2 के विक्टोरिया गार्डन, आजादपुर में 66 ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के फ्लैटों और 700.18 वर्ग.मी. स्टिल्ट पार्किंग स्थान की खरीद - से संबंधित।

एफ.23(13)2005/बिल्डिंग

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 125/2019

वर्ष 2019-20 के लिए दुरूपयोग शुल्क की गणना के उद्देश्य हेतु भूमि दरों का निर्धारण।

एफ.2(14)96-97/ए.ओ.(पी.)/डी.डी.ए./पार्ट-II

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 126/2019

दिसम्बर, 2014 में अनुमोदित 'पार्कों का अंगीकरण' नीति में संशोधन।

एफ.पी.ए./ए.सी.(एल.एस.)/2014/डी.डी.ए./187

विस्तृत चर्चा के बाद, एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

श्री ओ. पी. शर्मा ने कहा कि दि.वि.प्रा. पार्कों को नगर निगम को नहीं सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पर्याप्त देख-रेख हेतु उनके पास फंड नहीं है और दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए दि.वि.प्रा. को और अधिक प्रयास करने चाहिए।

श्री ओ.पी.शर्मा और श्री मनीष अग्रवाल ने कहा कि एन.जी.टी. के आदेशानुसार पुराने बोरवेलों को भी सील किया जा रहा है। बोरवेलों को सील करने से पहले पार्कों के पर्याप्त विकास और रख-रखाव के लिए एस.टी.पी. पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए अन्यथा पौधे खराब हो जाएंगे।

श्री मनीष अग्रवाल ने कहा कि निकटवर्ती हरित क्षेत्र के सिंचाई हेतु कुसुमपुर पहाड़ी के अपशिष्ट जल का शोधन करने के लिए एक एस.टी.पी. स्थापित किया जाए।

श्री विजेंद्र गुप्ता और श्री सोमनाथ भारती ने यह कहा कि नीति के अंतर्गत पार्कों को गोद लेने के लिए न्यास योग्य भी होने चाहिए। यह सहमति हुई कि न्यासों को शामिल किया जाए।

मद सं. 127/2019

भारत वंदना पार्क के भू-दृश्यांकन विकास हेतु विशेष अनुज्ञा/रियायत मांगी गई।

एफ.पी.ए./ए.सी.(एल.एस.)डीडीए/2019/347

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 128/2019

"सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्रों" हेतु निर्धारित भूमि के आरक्षित मूल्य तय करने की पद्धति।

एफ.1(मिस.)सोश्यो-कल्चरल सेंटर/आई.एल.

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 129/2019

वर्ष 2019-20 हेतु संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2020-21 हेतु बजट अनुमान।

एफ.4(3)91/बजट/आर.बी.ई./2019-20

वर्ष 2019-20 हेतु संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2020-21 हेतु बजट अनुमान पर चर्चा की गई।

विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2020-21 हेतु बजट अनुमान अनुमोदित किए गए।

यह भी वांछित है कि दि.वि.प्रा. निर्माण परियोजनाओं पर कम ध्यान दें और एक योजनाकार, नियामक और सुविधाकर्ता के रूप में अपनी भूमिका पर अधिक जोर दें। डीडीए के न बिके फ्लैटों की बड़ी सूची, नई आवासीय योजनाओं पर प्राप्त कम प्रतिक्रिया और बड़ी संख्या में डीडीए फ्लैटों के सरेंडर को ध्यान में रखते हुए, दि.वि.प्रा. प्लॉटों की नीलामी करके अथवा पी.पी.पी. अथवा किसी अन्य उपयुक्त माध्यम के द्वारा दि.वि.प्रा. की भूमि पर आवासीय स्टॉक के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में विचार करना चाहिए। पी.एम.ए.वाई. के तहत निर्धारित लक्ष्यों को सभी क्षेत्रों, विशेषकर ई.डब्ल्यू.एस. के लिए कम कीमतों पर निजी क्षेत्र से गुणवत्ता का निर्माण करवाकर पूरा किया जाना चाहिए। दि.वि.प्रा. को विकसित क्षेत्रों/परिसंपत्तियों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मद सं. 130/2019

प्लॉट सं. 1,2,3,4,5,6,7 और 8 के भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में।

एफ.20(12)2019/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11 क के अंतर्गत आपत्तियाँ/सुझाव आमंन्त्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना को जारी किया जाए।

मद सं. 131/2019

फैक्टरी रोड (अफ्रीका एवेन्यू रोड), नई दिल्ली, स्थित प्लॉट के भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में।

एफ.20(13)2019/एम.पी.

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम,1957 की धारा 11 क के अंतर्गत आपत्तियाँ/सुझाव आमंन्त्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना को जारी किया जाए।

मद सं. 132/2019

दिल्ली एकीकृत भवन निर्माण उपविधि-2016 में (यूबीबीएल-2016) में प्रस्तावित संशोधनों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार आम जनता और प्रोफेशनल द्वारा व्यापक संदर्भ हेतु यूबीबीएल-2016 में संशोधनों की अधिसूचनाओं के संकलन में शामिल किया जाए।

एफ.15(06)2016/एमपी/पार्ट

एजेंडा पद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचना हेतु अनुमोदन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए। अधिसूचित संशोधनों को शामिल करते हुए यूबीबीएल-2016 के सार-संग्रह को दि.वि.प्रा. द्वारा प्रकाशित किया जाए और इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

मद सं. 133/2019

पांच चूल्हा कर गांवों के मूल चूल्हा कर दाता और केवल उनकी संतानों के संबंध में भुगतान शर्तों में छूट हेतु प्रस्ताव।

एफ.एस./1(152)2019/ओएसबी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को अनुमोदन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

मद सं. 134/2019

आवासन योजना 2010 के 30 वर्षीय रख-रखाव कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत रख-रखाव का समावेशन।

एफ./1/0067/2019/कॉई./हाऊसिंग(समन्वय)

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं. 135/2019

औषधियों और दवाइयों के स्टॉकिस्ट और डीलरों को शामिल करने हेतु पैरा 15.7.1 में प्रस्तावित संशोधन

Scanned with CamScanner

एफ.3(7)/2018/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम,1957 की धारा 11 क के अंतर्गत आपत्तियाँ/सुझाव आमंन्त्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना को जारी किया जाए।

मद सं. 136/2019

चारों जोनो के लिए डाटा अधिग्रहण और फील्ड सर्वेक्षणों को शुरू करने के लिए और पूरी दिल्ली में ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रूड़की के नामांकन हेतु प्रस्ताव।

एफ.18(5)/2018-एम.पी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य बिन्दु'

श्री विजेन्द्र गुप्ता

i) दि.वि.प्रा. को विवाह समारोहों हेतु बड़े स्थलों की नीलामी तथा धार्मिक समारोहों हेतु स्थलों को चिन्हित भी करना चाहिए।

ii) दि.वि.प्रा. को कुछ एम.सी.डी. कार्यालयों में पीएम-उदय के लिए अतिरिक्त हेल्प डेस्क स्थापित करने की संभावना तलाश करनी चाहिए।

iii) दि.वि.प्रा. को सत्यापित करना चाहिए कि क्या बदरपुर ट्रेडर यूनियन वास्तव में ट्रेडर बॉडी का प्रतिनिधित्व करती है/समुचित रूप से ट्रेडर्स यूनियन है।

iv) व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु अपार्टमेंट एक्ट के कार्यान्वयन के संबंध में विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए।

v) परिवारों/सेवा उद्योगों हेतु मुख्य योजना में संशोधनों पर अधिसूचना जारी की जाए।

vi) आवासीय प्लॉटो के समामेलन हेतु मुख्य योजना में संशोधनों को तत्काल अधिसूचित किया जाए।

vii) एलएससी की डी-सीलिंग से संबंधित मामले में तेजी लाई जाए।

श्री सोमनाथ भारती

i) रोज गार्डन, हौज खास स्थित नाले की सफाई हेतु कार्रवाई की जाए। यहां एस.टी.पी. भी स्थापित की जाए।

Scanned with CamScanner

ii) विवाह समरोहो हेतु चिह्नित स्थलों को धार्मिक समारोहों के लिए उपयोग करने की अनुमति भी दी जाए। विवाह समारोहों हेतु पण्डालों को दो से तीन विवाहों के लिए उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। स्थल का अनधिकृत उपयोग होने पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

iii) सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उत्सव मैदान विकसित किए जाएं।

iv) यदि अवास्तविक सर्किल दरों की वजह से दि.वि.प्रा. प्लॉटो की नीलामी में असमर्थ है तो दि.वि.प्रा. को सर्किल दरों की समीक्षा के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. को पत्र लिखना चाहिए।

v) दि.वि.प्रा. द्वारा मालवीय नगर क्लब विकसित किया जाए।

vi) बदरपुर ट्रेड यूनियन से संबंधित मामले के संबंध में सभी दस्तावेजों की जांच की जाए ताकि किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके।

<u>श्री ओ.पी.शर्मा</u>

i) ओपन जिम लगाने हेतु एक नीति तैयार की जाए ताकि सभी तक सुविधा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

ii) विवाह समारोहों हेतु स्थलों के आबंटन के संबंध में दि.वि.प्रा. की नीति की वजह से आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। नीति पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है।

iii) प्राधिकरण सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में पीएम-उदय के लिए हेल्प-डेस्क की स्थापना हेतु उनसे परामर्श किया जाए।

<u>श्री मनीष अग्रवाल</u>

i) दि.वि.प्रा. अधिकारियों को विवाह समारोहों हेतु दि.वि.प्रा. स्थलों के टैंट माफिया द्वारा अनधिकृत प्रयोग की जांच करनी चाहिए।

<u>श्रीमति भावना मलिक</u>

i) यद्यपि उनके निर्वाचन क्षेत्र में, एक बहुमंजिली पार्किंग सहित अनेक परियोजनाओं को उनके पिछले कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन इन परियोजनाओं को अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

माननीय उप राज्यपाल ने सभी सदस्यों, विशिष्ट आमंत्रितगण और वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया।

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

Scanned with CamScanner